SCHEME FOR AWARD OF EMERITUS PROFESSORSHIP AT IIT DELHI

- The Scheme is intended to utilize the services of highly qualified and experienced superannuated Professor
 in the Institute who have been actively engaged in research & teaching improvement programmes of the
 Institute in the preceding years to enable them to pursue active research in their field of specialization as
 also to undertake curriculum development and participate in the monitoring and evaluation of existing
 programmes and development of new programmes at the Institute within their field of competence.
- 2. The fellowship carries an honorarium of Rs. 1,10,000 /- per month.
- 3. The awardee will also be paid TA @ Rs. 15,000 per month to enable him to commute every day from his residence (outside the campus) to the Institute.
- 4. The fellowship will be available initially for a period of three years and maximum of five years but not beyond the age of 70 years.
- 5. The awardee will be provided a non-lapsable contingent grant of Rs. 50,000 /- per annum for secretarial assistance, travel, stationery, postage, telephone rental and consumables etc. He could also be provided additional modest financial support to enable him to pursue his research and academic activities on the merits of each case.
- 6. The awardee will be required to teach at least one course every semester and will also participate in guiding B.Tech and M.Tech projects. He can participate in Ph.D. supervision as a Co-supervisor. The awardee should have the same teaching load as that of regular faculty.
- 7. The awardee can also participate in sponsored research projects and consultancies as Co-PI or Co-CI. Any Institute consultancy in which the Emeritus Professor participates will be governed by the IIT Consultancy Rules.
- 8. The Institute will provide to the awardee the usual facilities in the Dept. / Centre in which he/ she would work. However, no residential accommodation will be provided by the Institute.
- 9. A fellow selected for the award under the scheme should normally join the fellowship within a period of three months from the date of the award, failing which the award would be treated as withdrawn. In special cases, a further extension in the joining time may be allowed upto three months.
- 10. The case of the Professor concerned will be examined by a Committee to be appointed by the Chairman, Board of Governors after the proposal for the award to the faculty member has been put up by the Director.
- 11. No Professor will be considered for the award of the Fellowship after one year of his retirement from the Institute service, except for the continuation.
- 12. Vacation/ Earned/ Casual Leave as admissible to regular faculty members will be permitted by the HOD/ HOC except that leave(s) shall lapse at the end of the year and no carry forward/ encashment etc. shall be admissible.
- 13. An Emeritus Professor will be entitled to the PDF at par with regular faculty.
- 14. The Emeritus Professor will be eligible to hold Chair Professorship till his terms as Emeritus Professor or till the period of Chair, whichever is earlier.

आई.आई.टी. दिल्ली में एमेरिटस प्रोफेसरशिप के अवार्ड के लिए योजना

- 1. इस योजना का उद्देश्य संस्थान में उच्च योग्य और अनुभवी सेवानिवृत प्रोफेसर की सेवाओं का उपयोग करना है जो संस्थान के अनुसंधान और शिक्षण सुधार कार्यक्रमों में पूर्ववर्ती वर्षों में सिक्रय रूप से लगे हुए हैं तािक उन्हें विशेषज्ञता के क्षेत्र में सिक्रय अनुसंधान करने में सिक्षम बनाया जा सके तथा पाठ्यक्रम विकास का कार्य करने के लिए और क्षमता के क्षेत्र में संस्थान में मौजूदा कार्यक्रमों और नए कार्यक्रमों के विकास की निगरानी और मूल्यांकन में भाग ले सके।
- 2. फैलोशिप रु 1,10,000 / प्रति माह का मानदेय वहन करती है। ।
- 3. पुरस्कार देने वालो को अपने निवास स्थान (परिसर के बाहर) से हर दिन संस्थान मे आने के लिए टी.ए. @ रु15,000 प्रति माह का भुगतान भी किया जाएगा।
- 4. फेलोशिप शुरू में तीन साल की अवधि और अधिकतम पांच साल के लिए उपलब्ध होगी लेकिन 70 साल की उम्र से परे नहीं।
- 5. पुरस्कार देने वालों को सचिवीय सहायता, यात्रा, स्टेशनरी, डाक, टेलीफोन किराये और उपभोग्य सामग्रियों आदि के लिए रु 50,000 / प्रति वर्ष का एक गैर-देनदार आकस्मिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। उन्हें प्रत्येक मामले के गुणों पर अपने अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सक्षम करने के लिए अतिरिक्त वितीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है।
- 6. पुरस्कार प्राप्त करने वालों को प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम एक पाठ्यक्रम सिखाना आवश्यक होगा और बी.टेक और एम.टेक परियोजनाओं में भी भाग लेना होगा। वह पीएचडी पर्यवेक्षण में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले सकते हैं। पुरस्कार देने वालों को नियमित शिक्षक के समान शिक्षण भार होना चाहिए।
- 7. पुरस्कृत सह-प्रधान अन्वेषक के रूप में प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं और परामर्शों में भी भाग ले सकते हैं। कोई भी संस्थान परामर्श जिसमें एमेरिटस प्रोफेसर भाग लेते है, आईआईटी कंसल्टेंसी रूल्स द्वारा शासित होगा।
- 8. संस्थान पुरस्कृत को जिस विभाग / केंद्र में वह काम करंगे उसमे सामान्य सुविधाये प्रदान करेगा। हालांकि, संस्थान द्वारा कोई आवासीय आवास प्रदान नहीं किया जाएगा।
- 9. इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए चुने गए व्यक्ति को पुरस्कार की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर सामान्य रूप से फेलोशिप में शामिल होना चाहिए, जिसमें विफल होने पर पुरस्कार को वापस ले लिया जाएगा। विशेष मामलों में, जुड़ने के समय में एक और विस्तार को तीन महीने तक की अनुमति दी जा सकती है।
- 10. निदेशक द्वारा संकाय सदस्य को पुरस्कार का प्रस्ताव रखने के बाद संबंधित सदस्य के मामले की जांच एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसे निदेशक, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- 11. संस्थान के सेवा से सेवानिवृत्त होने के एक वर्ष के बाद सिवाय निरंतरता के फेलोशिप के पुरस्कार के लिए किसी भी प्रोफेसर पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 12. नियमित संकाय सदस्यों के लिए स्वीकार्य के रूप में अवकाश / अर्जित / आकस्मिक अवकाश को एचओड़ी / एचओसी द्वारा अनुमित दी जाएगी सिवाय इसके कि छुट्टी(याँ) वर्ष के अंत में व्यतीत हो जाएगी और कोई कैरी फॉरवर्ड / नकदीकरण आदि स्वीकार्य नहीं होगा।
- 13. एक एमेरिटस प्रोफेसर नियमित संकाय के साथ समान में पीडीएफ के हकदार होंगे।